

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर


—0—  
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक/ 3 / 03 / 2024

क्रमांक 378/727/2023/स्था./चार :: विभागीय आदेश क्रमांक 1031/727/2023/स्था./चार, दिनांक 22.09.2023 द्वारा श्रीमती हीना सिंह गुप्ता, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग को स्थानांतरित करते हुए सहायक लेखाधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग, जिला-दुर्ग में पदस्थ किया गया था, को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्वारा, श्रीमती हीना सिंह गुप्ता को सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग में अस्थायी रूप से पदस्थ करता है।

(समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

  
(शांता खरे)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 13 / 03 / 2024

पृष्ठा. क्र 379/727/2024/स्था./चार  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
4. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़
6. विकास आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
7. संभागायुक्त, छत्तीसगढ़, दुर्ग
8. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़
9. कलेक्टर, दुर्ग/रायपुर
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग
11. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग
12. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/जिला कोषालय, दुर्ग
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग
14. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती.....की ओर पालनार्थ।
15. आदेश फोल्डर हेतु  
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग